

Roll No.

T - 3107

B. A. LL. B. (Sixth Semester)
EXAMINATION, May/June, 2017

Paper - 600

LABOUR AND INDUSTRIAL LAW-II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 80

Minimum Pass Marks : 29

नोट- किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt any *five* questions. All questions carry equal marks.

1. खान अधिनियम, 1952 के लक्ष्य एवं विषयवस्तु की व्याख्या कीजिए।
 Explain the aim and object of the Mines Act, 1952.
2. खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं दण्ड से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।
 Discuss the provisions of health and penalties under Mines Act, 1952.

3. बन्धुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत क्रियान्वयन प्राधिकारी कौन है और क्रियान्वयन प्राधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्यों की भी विवेचना कीजिए।

Who are the implementing authorities, under Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 and also describe the right and duty of implementing authorities.

4. "बन्धुआ मजदूरी व्यवस्था" पर एक लेख लिखिए।
 Write a note on "Bonded labour system".

5. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।
 Discuss the aims and object of Equal Remuneration Act, 1976.

6. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत नियोक्ता के कर्मचारी के प्रति क्या कर्तव्य हैं ?
 व्याख्या कीजिए।

What are the duties of employer for employee under Equal Remuneration Act, 1976 ? Explain.

7. बालश्रम निषेध एवं विनियमन अधिकारी, 1986 के उद्देश्य एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
 Explain the object and scope of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

8. बालश्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बच्चों के कार्य की परिस्थितियों से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

Describe the provision of "Condition of work of Children" under the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

9. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 'चिकित्सकीय लाभ' से सम्बन्धित प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

Describe the provisions relating to medical benefits under E.S.I. Act, 1948.

10. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उद्देश्य एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

Describe the object and scope of the E.S.I. Act, 1948.